न्यायालयः— अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, मकराना
जिला डीडवाना—कुचामन

बउनवान—अब्दुल कयूम बनाम मोहम्मद सलीम व अन्य
किस्म—दीवानी मूल नंबर—120 / 12 क्र.न.—111 / 19

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
16-04-26	वादी अधिवक्ता उपस्थित। प्रतिवादीगण अधिवक्ता उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 04 व 05 के अधिवक्ता द्वारा दिनांक 09.04.2026 को आदेश 9 नियम 7 व धारा 151 सीपीसी का प्रार्थना पत्र पेश किया जिसके संबंध में बहस सुनी गई। प्रतिवादी संख्या 04 व 05 के अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र के संबंध में निवेदन किया कि हस्तगत प्रकरण में दिनांक 02.04.2026 को प्रतिवादी अधिवक्ता के पारिवारिक आयोजन होने के कारण न्यायालय में उपस्थित नही हो पाए और प्रतिवादी संख्या 04 व 05 स्वयं भी उपस्थित नही हो पाए लेकिन अधिवक्ता द्वारा फोन किए जाने पर नगर परिषद कर्मचारी हाजिर हुआ लेकिन जानकारी के अभाव में वह पत्रावली में अपनी उपस्थिति नही दे पाया जिससे प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही मे अमल लाई गई। प्रतिवादीगण की अनुपस्थिति एक सद्भाविक भूल रही है अतः प्रतिवादीगण के विरूद्ध अमल में लाई गई एकपक्षीय कार्यवाही को अपास्त किया जावें। उक्त प्रार्थना पत्र के संबंध में वादीगण अधिवक्ता ने कोई आपत्ति जाहिर नही की। पत्रावली का अवलोकन किया गया। संबंधित विधि का अध्ययन व परिशीलन किया गया। जहां तक प्रतिवादी संख्या 04 व 05 के अधिवक्ता ने दौराने बहस दिनांक 02.04.2026 को उक्त	

अपर जिला न्यायाधीश
मकराना जिला डीडवाना—कुचामन

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर तारीख अहकाम इस की ता मे जारी
	प्रतिवादीगण संख्या 04 व 05 के विरूद्ध अमल में लाई गई एकपक्षीय कार्यवाही को अपास्त किए जाने का कथन किया इस संबंध में पत्रावली व पेश प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया जिससे प्रतीत होता है कि प्रतिवादी संख्या 04 व 05 को तथा उनके अधिवक्ता को न्यायालय द्वारा बार बार आवाजे लगाने के बावजूद उपस्थित नही आने पर न्यायालय द्वारा उक्त प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई थी चूंकि प्रतिवादी अधिवक्ता ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में वर्णित पारिवारिक आयोजन होने व नगर परिषद कर्मचारी के द्वारा जानकारी अभाव में उपस्थिति दर्ज नही करवा पाने का कथन किया है। किसी भी प्रकरण के न्यायपूर्ण निस्तारण के लिए प्रकरण के सभी पक्षो को सुना जाना आवश्यक है अतः ऐसी स्थिति में प्रतिवादी संख्या 04 व 05 के विरूद्ध दिनांक 02.04.2026 को अमल में लाई गई **एकपक्षीय कार्यवाही को अपास्त किया जाता है।** **एक अन्य प्रार्थना पत्र—** अधिवक्ता प्रतिवादीगण द्वारा पेश प्रार्थना पत्र आदेश 11 नियम 12 सपठित धारा 151 सीपीसी के संबंध में बहस सुनी गई जिसका निस्तारण किया जा रहा है। अधिवक्ता प्रतिवादीगण की ओर से आदेश 11 नियम 12 सपठित धारा 151 सीपीसी के पेश प्रार्थना पत्र के संबंध में निवेदन किया कि प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से दिनांक 27.11.2025 को नगर परिषद मकराना से राशन कार्ड संख्या 391, वार्ड नंबर 16 मकराना की राशन कार्ड आवंटन से वर्तमान स्थिति तक की समस्त पत्रावली तलब किए जाने का प्रार्थना	

Asre Choudhary
अपर जिला न्यायाधीश
मकराना, जिला डीडवाना-कुचामन

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की ताभील मे जारी हुए
	पत्र पेश किए जाने पर प्रतिवादी संख्या 4 व 5 द्वारा सूचना के अधिकार के तहत उक्त दस्तावेजात प्राप्त कर सकने का जवाब पेश किया जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा उक्त दस्तावेजात सूचना के अधिकार के तहत प्राप्त कर सकने की टिप्पणी कर उक्त प्रार्थना पत्र को खारिज किया गया था। प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा उक्त दस्तावेजात सूचना के अधिकार के तहत प्राप्त किए जाने हेतु निवेदन किए जाने पर नगर परिषद द्वारा जरिए नोटिस उक्त सूचना तृतीय पक्ष से संबंधित होने के कारण उपलब्ध नही करवाए गए। उक्त दस्तावेजात वाद के ऋजु निस्तारण के लिए आवश्यक दस्तावेज है जिन्हे रिकॉर्ड पर लिए जाने से वाद की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी अतः प्रतिवादी संख्या 04 व 05 से वार्ड नंबर 16 के राशन कार्ड संख्या 391 की सम्पूर्ण पत्रावली तलब किए जाने के आदेश दिए जाने का निवेदन किया। उक्त प्रार्थना पत्र के संबंध में प्रतिवादी 04 व 05 के अधिवक्ता ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि वार्ड नंबर 16 का राशन कार्ड संख्या 391 किस तारीख को जारी किया गया था, का विवरण नही है। नगर परिषद मकराना का कार्यालय पूर्व में स्थानान्तरण होने व गत सालो से हुई अधिक वर्षा के कारण दस्तावेजो के कई बण्डल गल गए है विभाग द्वारा काफी कोशिश करने के बावजूद उक्त दस्तावेजात की पत्रावली विभाग को नही मिल रही है जिससे पत्रावली उपलब्ध करवाना संभव नही है इस बाबत शपथ पत्र भी पेश है अतः उक्त प्रार्थना पत्र को मय हर्जे खारिज किए जाने का निवेदन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। संबंधित	

अपर जिला न्यायाधीश
मकराना, जिला डीडवाना–कुचामन

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर तारीख अहकाम इस की ता मे जारी
	विधि का अध्ययन व परिशीलन किया गया। जहां तक कि प्रतिवादीगण अधिवक्ता ने दौराने बहस वार्ड नंबर 16 राशन कार्ड संख्या 391 की सम्पूर्ण पत्रावली तलब किए जाने का कथन किया इस संबंध में प्रतिवादी संख्या 04 व 05 के अधिवक्ता ने उक्त दस्तावेजात काफी प्रयासो के बावजूद भी नही मिलने का कथन किया है इस संबंध में न्यायालय द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया जिसमें प्रतिवादीगण अधिवक्ता द्वारा वार्ड नंबर 16 के राशन कार्ड संख्या 391 से संबंधित सम्पूर्ण पत्रावली चाही गई है जिस बाबत प्रतिवादी संख्या 04 व 05 ने अपने जवाब के माध्यम से उक्त दस्तावेजात के बण्डल गल जाने तथा काफी कोशिश करने के बावजूद उक्त पत्रावली नही मिलने का अंकन किया है और इस बाबत शपथ पत्र भी पेश किया है तथा फार्म नंबर 03 के साथ पेश दस्तावेजात फोटोप्रति को प्रमाणित करने के पृष्ठाकंन के साथ पेश किए है, साथ ही स्वयं नगरपरिषद अधिवक्ता ने दौराने बहस कथन किया कि नगरपरिषद के पास रिकॉर्ड में फोटोप्रति दस्तावेज ही है और पेश फोटोप्रति दस्तावेजात को ही नगर परिषद द्वारा प्रमाणित किए गए है अतः उक्त तथ्यो एवं परिस्थितियो को देखते हुए प्रतिवादीगण द्वारा प्रार्थना पत्र के माध्यम से चाहे गए दस्तावेज की पत्रावली तलब किया जाना न्यायोचित प्रतीत नही होता है अतः प्रतिवादी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र आदेश 11 नियम 12 सपठित धारा 151 सीपीसी अस्वीकार कर खारिज किया जाता है तथा फार्म नंबर 03 के साथ पेश फोटोप्रति दस्तावेजात को पत्रावली के **डी पार्ट** में शामिल किए	

Ave Caudhary
अपर जिला न्यायाधीश
मकराना, जिला डीडवाना–कुचामन